प्रेस विज्ञप्ति
07.02.2024

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, धन शोधन मामले के संबंध में जिसमें आरोपी व्यक्ति आतंक के वित्तपोषण में शामिल था जिनके हाथ पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह के साथ मिले हुए थे, जोकि जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था करता था। जिन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी (सीबीआई-मामले) कश्मीर, श्रीनगर न्यायालय द्वारा 13/02/2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित मोहम्मद अकबर भट, सुश्री फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी एवं अन्य के विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि में शामिल अन्य के विरुद्ध जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की आड़ में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उन्होंने अपने व्यक्तिगत खातों और अल-जबर ट्रस्ट के बैंक खातों में धन प्राप्त किया, जोकि एक धर्मार्थ ट्रस्ट था लेकिन इसका उपयोग छात्रों से धन प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जा रहा था जिसे आगे कई तरीकों से भारत में आतंकवादी गतिविधिया, चलाई जा रही थी जैसे कि मंजूर अहमद शाह, अल्ताफ अहमद भट इत्यादि जैसे पाकिस्तानी हैंडलरों के अनुदेशों अनुसार जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजों को पैसा देना, व्यक्तियों/आतंकवादियों को पैसा मुहैया कराना, आदि।

आरोपी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह को सबज़ार अहमद शेख और अन्य से भी धन मिला है, जिन्होंने अपने बहिष्कृत भाई मंज़ूर अहमद शाह के अनुदेश अनुसार पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने वाले बहुत से छात्रों से धन प्राप्त किया था, और उसे जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधियों के लिए वितरित किया गया था। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय, श्रीनगर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत विभिन्न बैंक खातों, अचल परिसंपत्तियों आदि के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त किया था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।